बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन शीघ्र

Enlarge Image

जनप्रतिनिधि भी कराएं भूकंपरोधी भवन का निर्माण

नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने की बैठक

पटना (एसएनबी)। राज्य में भूकंप आने के बाद सरकार के होश उड़ गये हैं। राज्य सरकार पुराने बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करेगी। राज्य में भूकंपरोधी मकान के निर्माण के लिए सख्त कदम उठाये जायेंगे। राज्य में रविवार को आये भूकंप के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बैठक की। बैठक के बाद मंत्री डॉ. कुमार ने बताया कि राज्य में वर्ष 1981 के बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर भवन का निर्माण हो रहा है। इस बीच राज्य की आबादी बढ़ने के साथ ही तेजी से भवन का निर्माण हुआ है। इस स्थिति में भूकंपरोधी भवन का निर्माण जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन कर भूकंपरोधी भवन के निर्माण को सख्ती से लागू किया जायेगा। आवास बोर्ड द्वारा भी भवन का निर्माण होना है। आवास के निर्माण में भी भूकंपरोधी का पालन किया जायेगा। एक अणो मार्ग में आयोजित 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम' से लौटने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने विभाग के प्रधान सचिव शशि शेखर शर्मा को शीघ्र पुराने बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन करने का निर्देश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव शशि शेखर शर्मा ने बताया कि बिहार भवन निर्माण उप विधि के बायलॉज में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नवम्बर माह तक बायलॉज में संशोधन कर उसे सख्ती से लागू किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बिहार क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के विघटन के बाद नगर निगम के अधीन भूकंपरोधी भवन की जांच करना है। भवन का नक्शा पास करने से लेकर उसकी मॉनिटरिंग करने का दायित्व नगर निगम को है। भवन का नक्शा पास करने के पहले 30 फीट चौड़ी सड़क का प्रावधान है। इसके बावजूद पटना समेत अन्य शहरों में 30 फीट चौड़ी सड़क को आधार बनाकर भवन का नक्शा पास नहीं किया गया है। उन्होंने आम लोगों से भूकंपरोधी भवन के निर्माण की अपील की है। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव के अलावा अभियंता समेत नगर निकायों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।